भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2715**
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

**तेलंगाना के विरासत स्थलों का संरक्षण**

**2715. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेड्डापल्ली में रामगिरी किला और घूलिकट्टा बौद्ध स्तूप सहित तेलंगाना के विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष धनराशि आवंटित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं और समय-सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के तहत इन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): तेलंगाना राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 08 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और रख-रखाव किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। तथापि, पेड्डापल्ली में रामगिरी किला और धुलिकट्टा बौद्ध स्तूप धरोहर विभाग, तेलंगाना सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।
(ग): धरोहर पर्यटन सहित पर्यटन गंतत्य स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों के विकास और संवर्धन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है जिसमें विभिन्न स्कीमों और पहल के माध्यम से तेलंगाना में धरोहर पर्यटन शामिल है। फिलहाल राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के अंतर्गत पेड्डापल्ली में रामगिरी किला और धुलिकट्टा बौद्ध स्तूप के संवर्धन का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने अनेक पहल की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) पर्यटन मंत्रालय ने अब स्वदेश दर्शन स्कीम को स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0(एसडी 2.0) के नाम से संशोधित किया है जिसका उद्देश्य गंतव्य स्थल और पर्यटन केंदित दृष्टिकोण का पालन करते हुए सतत् और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य स्थलों को विकसित करना है। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत 29.02.2024 को 56.81 करोड़ रूपए की लागत से 'भोंगीर किला आनुभविक क्षेत्र' के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ii) वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता(एसएएससी) के दिशानिर्देशों के तहत 73.74 करोड़ की लागत से 'राम्मपा क्षेत्र सतत् पर्यटन सर्किट' नामक एक परियोजना अनुमोदित की है।

*****